कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग
झारखण्ड सरकार
☎ 06546-222339, Fax no.06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com

पत्रांक : 4005 दिनांक: 18-08-17

सेवा में,

श्री रामचन्द्र मेहता,
मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द अर्पणा देवी,
ग्राम –बिगहा, पो0–फुलबेरिया,
थाना– नवलसराई, जिला– कोडरमा,
झारखण्ड, पिन– 825418

विषयः– **मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द अर्पणा देवी द्वारा करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु 14.17 हे0 वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **इस कार्यालय का पत्रांक 3823 दिनांक 04.08.2017 एवं आपका पत्र दिनांक 04.08.2017**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि सरकार के उप सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन विभाग झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 3105 दिनांक 27.07.2017 द्वारा विषयगत प्रस्ताव पर तीन बिन्दुओं पर किये गए पृच्छा का अनुपालन प्रतिवेदन आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा समर्पित किया गया है। प्राप्त प्रतिवेदन के आवलोकनोपरान्त एवं जाँचोपरान्त निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई है :–

(1) पृच्छा संख्या – 1 के अनुपालानार्थ सूचित करना है कि प्रस्ताव के साथ संलग्न Form – A, Part- I की कंडिका – B 2.4 component wise break up में Mining, Forest Land में 14.17 हे0 दर्शाया गया है, जबकि आपके प्रांसगिक पत्र द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में component wise break up में निम्नवत् सूचित किया गयाः–

Mining area :-

(a)	Mining	–	12.34 ha.
(b)	Proposed approach road	–	0.23 ha
	Safety zone & barrier	-	1.60 ha
	Total	-	**14.17 ha.**

अतएव प्रस्ताव हेतु भरे गये Form – A, Part- I की कंडिका – B 2.4 component wise break up में उपरोक्त वर्णित तथ्य के आधार पर सुधार अपेक्षित है। अनुरोध है कि संशोधित Form – A, Part- I भरकर, संशोधित Form – A का print निकालकर हार्डकॉपी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ नौ–नौ प्रतियों में समर्पित करें, ताकि प्रत्येक प्रस्ताव में संशोधित Form – A, Part- I लगाया जा सके।

(2) पृच्छाओं का अनुपालन प्रतिवेदन नौ–नौ प्रतियों में सभी अनुलग्नकों सहित एवं अनुपालन प्रतिवेदन के प्रत्येक पृष्ट पर परियोजना के प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित करते हुए समर्पित किया जाय।

अतः उपरोक्त दो बिन्दूओं पर अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब समर्पित करने की कृपा करें ताकि प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

विश्वासभाजन,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

Letter to User AgencyUser Agency (FCA M/s Ram Chandra Mehta fol)